



TEA BOARD
14, Biplabi Trailokya Maharaj Sarani
Kolkata-700001

दिनांक: 17.11.2021

कार्यालय ज्ञापन सं 89/2021

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री महेन्द्र नाथ माण्डी, (एम-213), एम.टी.एस, बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से संबद्ध, 28.02.2022 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे। टी बोर्ड उप-नियम, 1955 (यथा संशोधित) के उप-नियम 30 के अनुसार, एफआर 56 (ए) के साथ पढ़ा जाता है, उन्हें 28.02.2022 के अपराहन से बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्त किया जाएगा।

श्री माण्डी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले, नियमों के तहत सभी प्रकार के अवकाश का लाभ उठा सकते हैं जिसके वे हकदार हैं, जिसमें परिवर्तित/अर्धवेतन अवकाश भी शामिल है। तथापि, यदि वह भारत के भीतर बिताते हैं तो उन्हें एक बार में 300 दिनों से अधिक के अर्जित अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिनांक 25.09.2008, को जारी भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. संख्या 14028/3/2008-स्था (एल) के अनुसार यदि वह चाहे तो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान भी किया जा सकता है (बशर्ते कुल अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश 300 दिनों से अधिक नहीं होगा) ।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण:

1	श्री महेन्द्र नाथ माण्डी एमटीएस टी बोर्ड, कोलकाता	
2	वि.स एवं मु.ले.अ.	
3	उपनिदेशक चाय संवर्धन, कोलकाता	
4	लेखा अधिकारी (वेतन) & (रोकड़)	
5	अवकाश शाखा	
6	प्रभारी, पेंशन व पीएफ अनुभाग	
7	सचिवालय शाखा	
8	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड के अनुरोध सहित
9	टीबीइए	
10	टी बोर्ड कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड, कोलकाता	
11	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियों के लिए

संदर्भ, सं.स्था/पीआर/एम-213